उद्योग लगाने के लिए 30 दिन में बदलेगा भू-उपयोग

मंथन

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

यूपी में निवेश को बढ़ावा और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए खेती की जमीन का भू-उपयोग 30 दिनों में ही बदलने पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं उद्यमी चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भू-उपयोग बदलने का अधिकार आवास विभाग से लेकर औद्योगिक विकास विभाग को दे दिया जाए। इससे तय समय में भू-उपयोग बदलने के बाद उद्यमियों को उद्योग लगाने में आसानी होगी।

प्रदेश के कई औद्योगिक संगठनों को उद्योग लगाने के लिए भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया और सरल करने के साथ 30 दिन में इस पर फैसला लेने का अनुरोध किया है।

औद्योगिक संगठनों का मानना है कि इससे उद्यमियों को इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा और एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके आधार पर उच्च स्तर पर इस संबंध में विचार-विमर्श शुरू हुआ है।

आवास विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा गया है कि खेती की जमीनों का भू-उपयोग कितने दिनों में बदला जा सकता है। आवास विभाग के परामर्श के बाद इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा।